

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-56

सं. पीएमईजीपी/नीति/2023-24

दिनांक: 09.06.2023

परिपत्र

विषय: पीएमईजीपी के तहत भौतिक रूप में आवेदनों की प्राप्ति।

कृपया परिपत्र सं.पीएमईजीपी/पॉलिसी/2022-23 दिनांक 01.06.22 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया है। उक्त दिशानिर्देशों के उपखंड 11 के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होंगे, और किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि पीएमईजीपी पोर्टल को केवीआईसी द्वारा सभी कार्यान्वयी अभिकरणों के लिए विकसित और संचालित किया जा रहा है।

इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा उद्योग पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति (डीआरपीएससी) द्वारा की गई थी और समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी और पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयी अभिकरणों से भौतिक रूप में आवेदन स्वीकार करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, अधिकांश ग्रामीण युवाओं/भावी उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन भरने और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने का ज्ञान नहीं है।

माननीय मंत्री (एमएसएमई) ने भी संसद में पीएमईजीपी आवेदनों को भौतिक रूप में स्वीकार करने का आश्वासन दिया है।

अतः अवगत कराना है कि भौतिक रूप में आवेदन स्वीकार करने हेतु कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

1. भावी लाभार्थियों से कार्यान्वयी अभिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक रूप से प्राप्त आवेदनों की कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी।
2. यदि आवेदन और सहायक दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आईए व्यक्तिगत रूप से आने वाले आवेदक को पावती जारी करेगा।
3. यदि आवेदन अधूरा पाया जाता है या/और सहायक दस्तावेजों की कमी है, तो आईए आवेदक से आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध करेगा और इसे लाभार्थी की ओर से पोर्टल पर अपलोड करेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के साथ एवं क्रम में पाये गए आवेदन पर, आईए ऑनलाइन आवेदन फ़ाइल करेगा और लाभार्थी की ओर से पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करेगा। आवेदन पत्र पीएमईजीपी पोर्टल पर संबंधित जिला समन्वयक (डीसीओ) लॉगिन के तहत उपलब्ध कराया गया है।
5. मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। आवेदन फ़ाइल करते समय डीसीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक की उपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण पूरा हो गया है।
6. यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन को ट्रैक करने में असमर्थ है, तो आवेदन पर आगे की अद्यतित स्थिति आईए द्वारा आवेदक को अनुरोध के अनुसार प्रदान की जाएगी।

7. आवेदक योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए अपने आवेदन निकटतम केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/कॉयर बोर्ड कार्यालयों में जमा कर सकते हैं (अनुलग्नक-1 में प्रोफार्मा संलग्न किया गया है)।
8. संबंधित आईए के संबंधित डीसीओ आवेदक की ओर से पीएमईजीपी पोर्टल पर डाटा एंट्री के लिए जिम्मेदार होंगे।
9. कृपया अनुपालन हेतु इसे सभी कार्यान्वयी अभिकरणों और अन्य हितधारकों के ध्यान में लाया जाए।
10. ऊपर दिए गए विवरण अनुसार भौतिक रूप में आवेदनों की स्वीकृति इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी
यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

-Sd-

(एम. राजन बाबू)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)

प्रति,

1. सभी राज्य/मंडलीय निदेशक, केवीआईसी।
2. सभी अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, केवीआई बोर्ड।
3. सभी राज्य/संघीय राज्य, डीआईसी के प्रमुख।
4. सभी अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कॉयर बोर्ड।
5. सभी प्रमुख सचिव, डीआईसी, सभी राज्य/संघीय राज्य।
6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई और मुंबई से बाहर स्थित कार्यालयों के सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी बैंकों के एमडी, जीएम, डीजीएम।
2. अध्यक्ष प्रकोष्ठ, केवीआईसी।
3. सभी आयोग सदस्य, केवीआईसी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी, केवीआईसी।
5. वित्तीय सलाहकार के विशेष कार्य अधिकारी, केवीआईसी।